न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—170/2018/223 (2018/00170)

1. नाथू पुत्र श्रवणलाल, जाति यादव, निवासी हीरापुरा, अजमेर रोड़, पॉवर हाऊस के पीछे, जगदम्बा नगर, जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. महेश पुत्र श्रवणलाल,
2. मूलचंद पुत्र श्रवणलाल,
   समस्त जाति यादव, निवासी हीरापुरा, अजमेर रोड़ पॉवर हाऊस के पीछे, जगदम्बा नगर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर दिनांक 12.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 6/2015.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री दीपक पारीक, वकील अपीलांट ।
2. श्री पन्नालाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 20.10.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के निर्णय दिनांक 12.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पा0 संख्या 1 ने एक वाद बाबत् इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 2/रेस्पो0 के प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 987 रकबा 1.2900 है0, खसरा नंबर 988 रकबा 1.0800 है0, खसरा नंबर 180 रकबा 1.5200 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 644, 643, 1587/652 थे, जो वाके ग्राम उगरियावास, तह0 मौजमाबाद में स्थित है। उक्त खसरा नंबर वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त पारिवारिक आय से खरीद की गई अविभाजित सम्पति है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से मौके पर काबिज है तथा सभी का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है । विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 श्रवणलाल ने संयुक्त परिवार की आय से खरीद कर हाल खसरा नंबर 987 का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के हक में एवं हाल खसरा नंबर 988 का विक्रय पत्र वादी के हक में तथा हाल खसरा नंबर 180 का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के हक में तस्दीक करवा दिया है जबकि विवादित आराजी पर खरीद के बाद से ही वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है । पक्षकारान के पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रवणलाल का स्वर्गवास दिनांक 2002 में हो गया । उसके बाद वादी एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग रहने लग गये । वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार विवादित आराजी में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा खातेदारी लगवाने को कहा तो प्रतिवादीगण वादी को आश्वासन देते रहे कि विवादित आराजी अपने स्व0 पिता ने संयुक्त परिवार की आय से क्रय कर अपने तीनों की अलग–अलग रजिस्ट्री करवाकर नाम लगवा दी जिस पर तीनों काबिज काश्त है इसलिये कभी भी तीनों खसरा नंबरान मे 1/3, 1/3 हिस्से खातेदारी लगवा लेगें लेकिन दिनांक 23.1.2015 को वादी ने हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी लेकर प्रतिवादीगण को कहा कि विवादित आराजी में 1/3, 1/3 हिस्से की खातेदारी लगवाओ जिस पर प्रतिवादीगण ने इकार कर दिया तथा धमकी दी कि हमारे नाम लगी आराजी खसरा नंबर 987 व 180 से तुम्हे बेदखल करेगें तथा अन्यंत्र विक्रय करेगें । इस कारण यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद पत्र वादपत्र में दर्शाये अनुसार स्वीकार किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2017 को वादी का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विपक्षी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दस्तावेजों के विपरीत एवं गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया तथा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 से साजिश कर अवैधानिक रूप से न्यायालय को गुमराह कर गलत तथ्यों के आधार पर वाद डिक्री करवाया है । अपीलांट द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 987 स्वअर्जित आय से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा क्रय के बाद से ही उक्त खसरा नंबर पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त खसरा नंबर पर कभी भी विपक्षी का कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं विवादित आराजी तन्हा अपीलांट के खाते में दर्ज है जो राजस्व रिकार्ड से बखूबी साबित है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । विवादित खसरा नंबर 987 संयुक्त परिवार की आय से क्रय किए जाने के तथ्य बिल्कुल गलत एवं निराधार है जिस वादी द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से अथवा स्वतंत्र मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं करवाया गया था। रेस्पो0 संख्या 1 ने मिलीभगत कर एवं अपीलांट को गुमराह कर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करवाते हुए इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया है । अधी0न्याया0 ने बिना विधिक प्रक्रिया पूर्ण किए एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्श किए जाने के पश्चात् ही उन्हें साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण में वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित किए बिना उनके आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2017 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 ने गतत व मनमाने तौर पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि प्रार्थी को नोटिस तामील होने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से उक्त प्रकरण बाबत् विचार विमर्श किया जिस

पर अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को आश्वासन दिया कि उक्त प्रकरण की पैरवी मैं संभाल लूंगा तथा दोनों तरफ से अधिवक्ता नियुक्त कर जवाबदावा प्रस्तुत करवा दूंगा । प्रार्थी अपने भाई द्वारा कहे गये कथनों पर विश्वास कर उसे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने वादी से मिलीभगत कर प्रार्थी को गुमराह करते इकबालिया जवाबदावा पेश कर एकतरफा में वाद डिक्री करवा लिया । अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.6.2018 को मौके पर आकर प्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखल मजाहमत की गई तथा निर्णय व डिक्री बाबत् कथन किया गया तब प्रार्थी ने दिनांक 11.6.2018 को न्यायालय जाकर प्रकरण की जानकारी की जिस पर दिनांक 11.6.2018 को प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 13.6.2018 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी को अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की पूर्ण रूप से जानकारी थी क्योंकि अपीलांट को नोटिस तामील होने के उपरांत वह अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया । अपीलांट ने जानबूझकर अपील विलंब से पेश की है तथा विलंब के भी संतोषप्रद एव ठोस कारण अंकित नहीं किये है । अतः अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से मियाद बिन्दू पर खारिज की जावे । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से से प्रार्थी अपीलांट नाथू, अप्रार्थीगण रेस्पो0 संख्या 1 व 2 कमशः महेश, मूलचंद के स्व0 पिता श्रवण लाल ने क्रय कर अलग–अलग विक्रय पत्र द्वारा नाम करवा दी थी संपूर्ण आराजी पर तीनों ही काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित आराजियात संयुक्त परिवार की आय से क्रय किये जाने के कारण अधी0न्याया0 ने संपूर्ण आराजियात में 1/3, 1/3 हिस्से की खातेदार घोषणा की डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । प्रतिवादी संख्या 2 ने इकबालिया जवाबदावा पेश कर वाद डिक्री करने का निवेदन किया है जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2012 (19) पेज 686 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । हम न्यायहित में अपीलांट को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार खसरा संख्या 987 रकबा 1.2900 है0 भूमि नाथू पुत्र श्रवण के नाम दर्ज है । खसरा संख्या 988 रकबा 1.0800 है0 वादी महेश पुत्र श्रवणलाल के नाम तथा आराजी खसरा संख्या 180 रकबा 1.5200 है0 भूमि मूलचंद पुत्र श्रवणलाल जाति यादव के नाम दर्ज है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद में कथन रहा है कि वादी व प्रतिवादीगण के पिता श्रवणलाल ने संयुक्त परिवार की आय से विवादित आराजियात क्रय कर हाल खसरा नबर 987 का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के हक में, खसरा नंबर 988 का विक्रय पत्र वादी के हक में तथा खसरा नंबर 180 का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के हक में

निष्पादित करवाया है । वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनकी संयुक्त आय से खरीद की गई अविभाजित सम्पति है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है तथा प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 2 मूलचंद पुत्र श्रवणलाल ने उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा पेश कर स्वीकार किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में सगे भाई होकर एक ही परिवार के सदस्य है । विवादित आराजियात वादी व प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई अविभाजित सम्पति है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से मौके पर कब्जा काश्त चले आ रहे है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है किन्तु न्यायालय हाजा के समक्ष अपील में अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 987 रकबा 1.2900 है0 भूमि अपीलांट की स्वअर्जित आय से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से खसरा नंबर 987 पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में तन्हा अपीलांट के नाम दर्ज चली आ रही है। अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 2 मूलचंद द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावा एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के आधार पर वाद डिक्री किया है । यद्यपि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया था किन्तु विवादित आराजियात संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई थी अथवा नहीं इस संबंध में अधी0न्याया0 को तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत वाद को डिक्री करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने केवल मात्र वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 2 के इकबाली जवाबदावा के आधार पर वादपत्र को सरसरी तौर पर डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2017 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई अथवा नहीं इस संबंध में तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर